69

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2961/तीन/2013 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 7–6–2013 – पारित व्दारा – तहसीलदार, तहसील गुढ़ जिला रीवा – प्रकरण कमांक 5 अ–12/2012–13

मोहनलाल पुत्र रामसजीवन शर्मा
ग्राम खजुहा तहसील गुढ़ जिला रीवा

----आवेदक

विरूद्व

1– शिवकुमार पुत्र रामानुज शर्मा
2– शॉति पत्नि लल्लूप्रसाद द्विवेदी
3– उमेशकुमार पुत्र रामेश्वरप्रसाद
निवासीगण ग्राम खजुहा
तहसील गुढ़ जिला रीवा

----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री शिवप्रसाद द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अभिताभ चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 10–07–2018 को पारित)

यह निगरानी तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5 अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7–6–2013 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उसके व्दारा ग्राम खजुहा खुर्द की आराजी कमांक 391/2 के अंश भाग की भूमि 0.464 है. कय की है जिसका सीमांकन कराया है इसलिये नक्शा तरमीम किया जाय। तहसीलदार गुढ़ ने प्र.क. 5 अ–12/12–13

पंजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ से सीमांकन कर नक्शा तरमीम के प्रस्ताव मांगे। राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ ने सीमांकन कर नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिस पर अनावेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की । तहसीलदार गुढ़ ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 7–6–13 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन व नक्शा प्रस्ताव में त्रृटि पाने से राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 28–11–12 को किया गया सीमांकन निरस्त करते हुये राजस्व निरीक्षक से अपेक्षा की कि पुनः सीमांकन करके नक्शा तरमीम के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जॉय। तहसीलदार गुढ़ के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब तहसीलदार गुढ़ ने राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन एंव नक्शा प्रस्ताव का परीक्षण किया, परीक्षण में पाया गया कि राजस्व निरीक्षक ने समस्त सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी एंव बिना सूचना के नक्शा तरमीम व सीमांकन कार्य किया गया है। अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 392 विकय की गई भूमि से लगी हुई है उसे व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई है। तहसीलदार गुढ़ ने परीक्षण में यह भी पाया कि भूमिस्वामी ने विकय की गई आराजी कमांक 391/2 (अंश भाग) का कब्जा भी केता (आवेदक) को नहीं सौंपा है एंव विकय स्थल पर विकेता का ही कब्जा है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन एंव नक्शा तरमीम प्रस्ताव वास्तविकता पर आधारित न होने से किये गये सीमांकन को निरस्त करते हुये पुनः सीमांकन करके नक्शा तरमीम के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की राजस्व निरीक्षक से अपेक्षा की गई है। वादित भूमि के स्थल की पुर्नजांच एंव पुर्नसीमांकन उपरांत नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार होते हैं, तब आवेदक को कौनसी

हानि हो रही है , आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं जिसके कारण तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 5 अ–12/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7–6–2013 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसील गुढ़ जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ–12/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7–6–2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर